

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान गुरदीप सिंह बनाम रणजीत सिंह आदि

प्रकरण संख्या 35 / 2024 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं जो इस अ पालना में
--------	-----------------------------------	-----------------------------

7
8/25

वादी अधिवक्ता उपस्थित। जवाब श्रेट पेश नहीं करने पर बंद किया जाता है। बहस प्राची अधिवक्ता सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA शर्ती-शर्ती साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यापी निषेधाज्ञा दिनांक 09/05/2024 को मूलवाद के निष्पत्ति तक रद्द की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।

सहायक कलक्टर एवं पंजी
उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर (गंगानगर)

